कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शिव एग्रो इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मीनगर पचपेडिया मार्ग, गॉधी नगर, गदहा खोर, बस्ती ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**009 / 17, 12.06.2017**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अमित कुमार पाण्डेय, अधिकृत प्रतिनिधि ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री शिव एग्रो इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मी नगर पचपेडिया मार्ग, गॉधीनगर, गदहा खोर, बस्ती द्वारा दिनांक 12.06.2017 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Tractor Driven Harvester Combine पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अमित कुमार पाण्डेय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन **गोर**खपुर द्वारा पत्र संख्या-1032, दिनांक 03.07.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी इस कार्यालय में पंजीकृत है एवं निम्न कमोटिडी के लिए पंजीयन लिया गया है :-

1. Agricultural implements-manually operated or animal driven (including spare parts and accessories thereof)-as mentioned in Entry 1of Schedule 1A

2. Agricultural implements-Tractor or power driven (including spare parts and accessories thereof)-as mentioned in Entry 1of Schedule 1

व्यापारी द्वारा ई-संचरण के माध्यम से वर्ष 2016-17 में फार्म-38 डाउन लोड करते हुए रु0 97,17,123.00 के Tractor Driven Harvester Combine का आयात किया गया है।

3. व्यापारी द्वारा आलोच्य वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के लिए बिलम्ब से दिनांक 16-4-2017 को आन लाइन रिटर्न जमा किया गया है, जिसमें कोई कर योग्य बिक्री घोषित नहीं किया गया है । (सम्पूर्ण खरीद-बिक्री कर-मुक्त वस्तु की घोषित किया गया है) । जबकि व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से Tractor Driven Harvester Combine का आयात किया गया है, जो कर-मुक्त वस्तु के अनुसूची में नहीं है । इस प्रकार उक्त आयातित वस्तु पर व्यापारी की कर देयता है । अत: व्यापारी को अस्थाई कर-निर्धारण के लिए दिनांक 20-04-2017 के लिए नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस के अनुपालन में व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और न ही वाद के स्थगन के लिए कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र ही प्रस्तुत किया गया । अत: पुन: एक अवसर प्रदान करते हुए 24-06-2017 के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो व्यापारी पर विधिवत तामील है ।

इस प्रकार अस्थाई कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पश्चात धारा-59 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राह्य नही है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा धारा-59 का प्रार्थना-पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष दिनांक 07.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा Tractor Driven Harvester Combine को उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के अन्तर्गत

....2

मानते हुए कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है । प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन **गोर**खपुर से आख्या प्राप्त की गयी है उनके द्वारा आख्या में उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी फर्म पर अस्थायी कर निर्धारण के लिए दिनांक 20.04.2017 के लिए नोटिस प्रश्नगत बिन्दु पर जारी किया गया है । जारी नोटिस के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2017 को धारा-59 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी फर्म पर अस्थायी कर निर्धारण के लिए नोटिस प्रश्नगत बिन्दु पर जारी किया गया है । जारी नोटिस के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2017 को धारा-59 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है ।

आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होगा ।

.....3

<u>सर्वश्री शिव एग्रो इण्डस्ट्रीज / प्रा0 पत्र सं0-009 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-3</u>

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 30 अगस्त, 2017

ह0/ 30/08/2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।